

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक 710/अ.जि.म./2021

दुर्ग, दिनांक 18 अप्रैल, 2021

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 107/अ.जि.म./2021 दुर्ग दिनांक 17 अप्रैल, 2021 में जारी आदेश की कंडिका क्रमांक 13 में -

"उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा, चिकित्सीय प्रयोजन एवं "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु लेन-देन" को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक/शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे" सशोधित पढा जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 710 / अ.जि.म. / 2021
प्रतिलिपि

दुर्ग, दिनांक 18/04/2021

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई चरोदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
7. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। दुर्ग जिला अन्तर्गत आवा-गमन के दौरान वाहनों के संबंध में उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
11. खाद्य नियंत्रक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. लीड बैंक, देना बैंक दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. समस्त आम जनता, जिला दुर्ग द्वारा उप संचालक, जनसम्पर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

06/5/21 5/1/21